NUMBER OF NEW INDUSTRIES IN THE STATE

***1722.** **SH. BALRAJ KUNDU, M.L.A.:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

the total number of new industries setup in the State during the last two years together with the total number of youth who have got employment in private industries so far after the implementation of the provision of the Government for 75 percent reservation to local youth in private industries in State together with the district wise details thereof ?

Reply: **DUSHYANT CHAUTALA, Deputy Chief Minister, Industries and Commerce Minister, Haryana.**

Sir,

41107 number of industries have been set up during the last two years in the State. As far as 75% reservation to local youth is concerned, the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020 has been notified on 02.03.2021 and the Act came into force w.e.f. 15.01.2022 in the State. As per Section 6 of the Act, all the employers are required to register their existing employees, whose monthly gross salary / wages are not more than Rs.30,000/-, on the designated portal within a period of three months from the date of commencement of Act i.e. 15.01.2022. As the first quarter of implementation of the Act has not been completed so far therefore, a report under Section 6 of the Act cannot be furnished at this stage.

****

राज्य में नए उद्योगों की संख्या

***1722. श्री बलराज कुन्डू, एम.एल.ए.:** क्या उप–मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य मे स्थापित उद्योगों की संख्या कितनी है तथा उन युवाओं की कुल संख्या कितनी है जिन्हे राज्य में निजी उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण के लिए सरकार के प्रावधान के लागू होने के पश्चात् रोजगार मिला तथा उसका जिलेवार ब्यौरा क्या है?

उत्तरः–

दुष्यंत चौटाला, उप–मुख्यमंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा सरकार

महोदय, राज्य में पिछले 2 वर्षों के दौरान 41107 उद्योग स्थापित किए गए है। जहां तक राज्य में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होने का संबंध है, **"हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020"** को दिनांक 02.03. 2021 को अधिसूचित किया गया है और यह प्रभावी रूप से 15.01.2022 को राज्य में लागू है। इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सभी नियोक्ताओं को अपने मौजूदा कर्मचारियों जिनका सकल मासिक वेतन/ मजदूरी 30,000/–रू0 से अधिक नहीं है, उन्हें अधिनियम के शुरू होने की तारीख 15.01.2022 से तीन महीने की अवधि के भीतर नामित पोर्टल पर पंजीकृत करना आवश्यक है। चूंकि अधिनियम के कार्यान्यवन की पहली तिमाही अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर अधिनियम की धारा 6 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

****